भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3690

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च , 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अदावाकृत जमा राशियां

3690. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में बचत खातों, सावधि जमा और आवर्ती जमाराशियों सहित पड़ी अदावाकृत जमा राशियों की बैंकवार और वर्षवार कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में जमाकर्ता अथवा उनके उत्तराधिकारी निष्क्रिय खातों की स्थिति, जागरूकता की कमी अथवा प्रक्रियात्मक चुनौतियों के कारण इन निधियों का दावा करने में असफल रहते हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित ऐसी दावा न कि गई जमा राशियों की मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सही दावों को सुकर बनाने के लिए जमाकर्ताओं अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने और उनसे संपर्क करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) क्या सरकार विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए निष्क्रिय अथवा दावा न की गई जमाराशियों का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों पर विचार कर रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि योजना, 2014 दावारहित जमा से संबंधित मानदंडों को अभिशासित करती है। दस वर्षों तक निष्क्रिय रहने वाले बचत और चालू खातों में शेष राशि अथवा परिपक्वता तिथि से दस वर्षों के भीतर सावधि जमा के दावारहित राशि को दावारहित जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तत्पश्चात इस राशि को बैंकों द्वारा आरबीआई द्वारा बनाए गए जारी जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता (डीईए) निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। विगत पाँच वर्ष के दौरान डीईए निधि में स्थानांतरित किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दावारहित जमा का विवरण अनुबंध में है।

जमाकर्ता अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारी अपने संबंधित बैंकों से दावारहित जमाओं पर दावा कर सकते हैं और सत्यापन के पश्चात, बैंक ब्याज युक्त खातों के मामले में लागू ब्याज सहित पुनर्भुगतान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तत्पश्चात, बैंक डीईए निधि से प्रतिपूर्ति के लिए आरबीआई में दावा दायर करते हैं।

आरबीआई ने जमाकर्ताओं अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने और उनकी दावारहित जमाराशियों को वापस पाने में उनकी सहायता करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और बैंकों को,अन्य बातों के साथ-साथ,यह सलाह दी है कि -

i. दावा न की गई वैसी जमाराशि जो दस वर्ष या उससे अधिक समय से बैंक की वेबसाइट पर निष्क्रिय हैं, की सूची को दर्शाया जाए;
ii. दावा न की गई जमाराशि को सही दावेदारों को वापस करने के लिए ग्राहकों के ठिकाने और उनके कानूनी उत्तराधिकारी का पता लगाएं;
iii. शिकायतों के त्वरित समाधान, रिकॉर्ड रखने और दावा न की गई जमाराशि वाले खातों की सावधिक समीक्षा के लिए शिकायत निवारण तंत्र लागू करें।
iv. दावा न की गई जमाराशि के वर्गीकरण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करें।

इसके अलावा, आरबीआई ने इस योजना के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रिंट, रेडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। दावारहित जमा तक पहुंच बढ़ाने और दावारहित जमा का पता लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आरबीआई ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल–उद्यम (दावारहित जमा - सूचना तक पहुँचने का प्रवेश द्वार) लॉन्च किया है, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर कई बैंकों में दावारहित जमा का पता लगाने में आसानी होगी।

बैंक विभिन्न उपाय भी करते हैं, जिसमें पत्र, ईमेल अथवा एसएमएस के माध्यम से दावारहित जमा खाताधारकों से संपर्क करना और सही दावेदारों की सहायता के लिए खाते को सक्रिय करने और दावा प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान करना शामिल है। बैंक ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान भी चलाते हैं।

*****

अनुबंध

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अदावाकृत जमा राशियां" के संबंध में दिनांक 24.3.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा प्रश्न संख्या 3690

वित्तीय वर्ष के दौरान आरबीआई की डीईए निधि में अंतरित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अदावाकृत जमा राशि का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष के दौरान आरबीआई की डीईएएफ में अंतरित अदावाकृत जमाराशि का ब्यौरा						
बैंक	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 31.12.2024 तक**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**4,590.30**	**4,560.33**	**4,562.48**	**12,254.29**	**11,794.17**	**7,946.49**

स्रोत: आरबीआई

*****